


<p>तारीख हुस</p>	<p>हुस या कार्यवाही या मय इनिशियटिव जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अडकाम जो हुस हुस की तारीख में जारी हुस</p>
	<p>अपील द्वारा जवाब का जवाब पेश, प्रति दिलायी। ग्राफकार अफिस. 2 का जवाब अपार मन्द किया जाया है। पत्राकी वाले वदम दि. 13/08/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">U Jup 23/8</p>	<p>सीमाबाई</p>
<p>13/8/25</p>	<p>पत्राकी पेश हुई। वकील अभयपदा उपस्थित। अपील/अपील की ओर से फर्द इत्यादि पेश, ग्राफकार वदम अभयपदा सुनी गयी। पत्राकी वाले आदेश प्रोपत्र धारा 212 R.T. Act दि. 29/08/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">U Jup 13/8/25</p>	<p>सीमाबाई देवीलाल बोखारी</p>
<p>29/8/25</p>	<p>पत्राकी पेश हुई। वकील अभयपदा उपस्थित। श्रीमान पीठासीन <del>...</del> महोदय, P.O. Meeting में है। अतः पत्राकी पूर्वानुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">U Jup 29/8/25</p>	
<p>04/9/25</p>	<p>पत्राकी पेश हुई। वकील अभयपदा उपस्थित। वदम प्रोपत्र के परिपेक्ष्य में पत्राकी का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act r.w. 39 R1320 PC के प्रोपत्र को adjudicate करने के लिए इले गिन तीन बिन्दुओं पर प्रांजना आक्षेपक है:- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- आर्गुमंटापीया का काम किया कि ग्राफ पत्राकी तहलील पिसा</p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहम  
हुक्म  
में

की वादग्रस्त आराजी खाना ए० 131 ए० न० 442  
163  
एवं खाना ए० 133 किता 3 खाना 0-4806 have  
प्राचीन व आराजी 1 की शामिलती पैतृक आराजी  
है, जो अपने पिता चीला टांगी से विरासत  
में प्राप्त हुई थी, जिसमें प्राचीन का हिस्सा  $\frac{1}{4}$   
निहित है। वादग्रस्त आराजी का कोई विद्येक  
व्यवहार नहीं हुआ है लेकिन आराजी 1 द्वारा  
बार बार मजबूती के तारीखों में भूमि का  
बैचान कर हिस्सा विशेष पर कब्जा सौंप रहा  
है जिससे अनावश्यक litigation बढ़ रहे हैं।  
इसके साथ ही court द्वारा मौखिक रूप से  
बिना बढेगा करके निर्माण नहीं करने हेतु  
चावड किये जाने पर भी हिस्सा विशेष (सिद्ध  
के लगवा भूमि पर) पर पक्का निर्माण किया  
जा रहा है जिससे ना केवल शामिलती भूमि  
बुद्ध बुद्ध हो रही है बल्कि वाद-विवाद की  
बहुलता भी बढ़ेगी और प्राचीन के खातेदारी  
आदि कार्य का हानन होगा।

अतः आराजी 1 ने उक्त काल का पुरजोर  
विरोध करते हुए बयान दिया कि वादग्रस्त (पूरी)  
आराजी पर पिता के जीवनकाल से आराजी 1  
का कब्जावास्तव चला आ रहा है। प्राचीन को  
शादी के बाद से ही सलुसल में रहती हैं।  
प्राचीन का ना तो किसी भाग पर कोई कब्जा  
है और ना ही को खेती है। केवल सलुसल  
रिकार्ड में विरासत से नाम दर्ज हो गया था।  
प्राचीन ने अपने हिस्से  $\frac{1}{4}$  का भी आराजी 1  
को रुपये 1 लाख में बैचान इकरार से



सिखा  
रुम

हुम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नाम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुम की तालीम  
में जारी हुए

वैधान्त कर बढ़ाया था लेकिन मन में बढ़ाव  
व मालक को जाने से SRO में रजिस्ट्री नहीं  
कराई गई। प्राथिया, जो अग्रणी के नाम की  
बिना कबला ही उक्त हिले को वैधान्त  
करने पर आमदा है जबकि पहली प्राथिया  
सहस्रपातेदार - अग्रणी 1 की बनाती है। अग्रणी  
1 द्वारा अपने ही हिले पर 50059.मांर  
से कम भाग पर पशुओं के तिरें एवं हाथ  
उपकरण रखने ही बाड़ा व पक्का निर्माण किया  
गया है। अतः सुरक्षण प्रथम हूएया एवं  
सुविधा का सतुलन अग्रणी 1 के पक्ष में है।

बहुल प्रथम के परिपेक्ष्य में पहावली  
का अवलोकन किया गया। ग्राम पंताखेडी के  
बादग्रस्त अग्रणी खाता एन 133 बिता 3 रकबा  
0.4806 हेर एवं खाता एन 131 बिता 1 रकबा  
0.8599 हेर प्राथिया व अग्रणी हूमा 1 की  
संयुक्त खातेदारी में रच्य है जिसमें प्राथिया का  
हिले 1/4 रच्य रिकार्ड है। आपपक्ष इन तर्क  
पर सहमत है कि यह भूमि उन्हें पिता से  
विरासत में मिली थी और फिर 02 बहिनो  
ने अपने हिले का अग्रणी 1 के पक्ष में हक  
लगा कर दिया था। It is well settled legal

position that each co-tenant has equal rights  
on each part of the co-tenancy or joint land.  
लेकिन प्राथिया द्वारा पेश बादग्रस्त भूमि के  
photographs से स्पष्ट है कि अग्रणी 1 द्वारा  
भाग विवेध पर मदान का पक्का निर्माण  
किया जा रहा है। प्राथिया द्वारा पेश जमावर्ड  
संवत् 2063-66, संवत् 2067-70 व 2071-74  
के अनुसार भी बादग्रस्त संयुक्त हिले परिवार



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अदालत  
हुक्म  
पं.

को संपत्ति है। अप्रार्थी 1 द्वारा पूर्व में (SBI  
Bank का Loan सुकाने के लिए) सामूहिक गुंभी  
(शुद्ध निगमन नम्बर 532 से पूर्व) में व  
हिलेला विशेष का बँचान करना स्वीकार किया  
है। अप्रार्थी 1 का यह ज्ञान कि सामूहिक गुंभी  
से चाँद प्राधिकार जारी हिले का बँचान करना  
है तो प्रथम हक अप्रार्थी 1 का होगा।

The Rajasthan pre-emption Act  
1966 के अनुसार चाँद कोई समुक्त खातेदार  
अपने हिलेला या बँचान करती है, तो first  
right मय co-tenants का होगा मयत Right  
of pre-emption or right of first refusal का  
होगा। इसी प्रकार section 6 व 30 of the  
Hindu Succession Act put a bar on transfer  
of undivided share of co-parcenary property  
except by will

उपरोक्त विवेचन एवं विशेषण के  
आधार पर प्रकरण अंतिम रूप मौखिक  
रूप से प्राधिकार के पक्ष में एवं मौखिक  
रूप से अप्रार्थी 1 के पक्ष में रखा है।

(ख) सुविधा का सतर्पण :- अप्रार्थी 1 द्वारा  
इस कोर्ट से मौखिक रूप से दिनांक 28/12/11  
को निर्माण बंद रखने हेतु पावंड करने पर भी  
निर्माण कार्य जारी रखा है। वादग्रस्त समुक्त खाते  
की अप्रार्थी के हिले विशेष पर पक्का मकान  
का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्राधिकार  
के हक व अधिकार प्रभावित हुए हैं।



ख  
म

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

साथ अप्रार्थिया किसी अपनवी को बैचान  
करती है ती right of pre-emption and  
right of first refusal के तहत अप्रार्थी 1  
के हक व आधिकार प्रभावित होगे। अतः  
सुविधा का सतुपन आधिकारिक रूप से प्राप्ति  
के पक्ष में एवं अप्रार्थी 2 के पक्ष में  
स्वादि होता है।

(स) अप्रार्थी 2 :- प्रकरण में प्राप्ति का  
अप्रार्थी 2 को वांछित होना चाहिए है।

उपरोक्त विवेचन व विरलेषण के आधार  
पर प्राप्ति का प्रपत्र प/स शिद RT Act r.w.  
0. 33 R1 52 cpc आधिकारिक रूप से स्वीकार कि  
जाता है। अप्रार्थी 1 का तफैलपामूलाय अल  
आसप कि अलथाइ निषेधात्ता से पाबंड किण  
जाता है कि वह खाता विभाजन कराये बिना  
किसी भाग विशेष पर निर्माण नहीं करे और  
ना ही किसी अपनवी केता को बैचान करे।  
प्राप्ति को भी पाबंड किण जाता है कि  
वह भी Right of pre-emption or right of  
first refusal के अनुसार बैचान करने से अप्रार्थी  
1 को प्रथम प्राप्ति होगी। अप्रार्थी 1 का  
सहमति दिये जाने पर ही अपनवी केता को  
केवल हिले का बैचान करेगी। कवण गही  
सीपेगी / प्ररण केसल कुमार और नखर  
से का होकर मूलाय के साथ सतुपन



Handwritten signature and name of the judge.